न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **26/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतन जोशी एडवोकेट निवासी 11/473 जोशी भवन, आजाद नगर, भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 12.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 15.03.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 921173 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 01.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा को प्रेषित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 19.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाडा के पत्रांक/रीडर/2019/398 दिनांक 10.04.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के पत्रांक/398 से अपीलार्थी को वांछित सूचना दिनांक 10.04.2019 को उपलब्ध करा दी गयी है। अपीलार्थी ने दिनांक 12.04.2019 को आक्षेप अंकित किया है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित वांछित सूचना कम सं. 02 से लगायत 05 को छोडकर शेष सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गयी है। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना अपीलार्थी को समय पर नही दिया जाना प्रकट होता है। प्रत्यर्थी को भविष्य में समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है । प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु सं. 02 से लगायत 05 की पूर्ण सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा